

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना अतरौलिया

**ट्रक ड्राइवर से पैसा छिनने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार 04**

अपराध एव अपराधियों के चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय के कुशल निर्देशन में दिनांक आज 16.04.2021 को उ०नि० लाल बहादुर विन्द प्रभारी चौकी – बूढ़नपुर थाना अतरौलिया मय हमराह का० कौस्तुभ कुमार व का० हरिभान सिंह के चौकी से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था व चेकिंग अवैध वाहन व संदिग्ध व्यक्ति हेतु बूढ़नपुर चौराहे पर मौजूद थे कि समय करीब 08.10 बजे कप्तानगंज की तरफ से एक सफेद रंग ECO SPORT कार आती हुई दिखाई पड़ी कि चेकिंग हेतु हाथ दिखाकर रुकने हेतु इशारा किया गया तो चालक कार को बिना रोके आगे बढ़ा कर दाहिनी तरफ अतरौठ की रोड पर बढ़ा दिया कि सन्देह होने पर कार का नम्बर देखा गया तो कार पर UP78EP7858 अंकित है जो मु०अ०सं०- 62/21 धारा 384/392/323 भादवि की घटना में प्रयुक्त वाहन का नम्बर है। सन्देह होने पर पुलिस टीम के द्वारा अलग-अलग मोटर साइकिल से भागे हुए कार का पीछा किया गया तो लगभग दो किला मीटर जाते-जाते शेरवां नदी पुलिया के पास ओवरटेक करके रोक लिया गया तथा कार में बैठे हुए चारों नवयुवकों के नीचे उतार कर उनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. नन्दन सिंह S/O त्रिवेणी सिंह ग्राम अमारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 21 वर्ष 2. मनीष कुमार सिंह S/O शिव बालक प्रजापति ग्राम- रिठारी थानाकोरारा जिला हमीरपुर उम्र करीब 28 वर्ष 3. निसार अहमद S/O शाहिद अहमद ग्राम गोपालगंज थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष 4. आयुष सिंह S/O देवेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम अमारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया तथा बारी बारी से जामा तलाशी ली गई तो नन्दन सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह के पैंट के दाहिनी जेब से रूपया 1500/- (पाँच- पाँच सौ की तीन नोट) बरामद हुई जिसको उसने अपने साथ में मौजूद तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर से बूढ़नपुर में छिनना बताया। निसार अहमद S/O शाहिद अहमद की जामा तलाशी ली गई तो पहने पैंट के जेब से रूपया 500 /- (सौ-सौ की पाँच नोट) बरामद हुआ। जिसे अपने खर्च के लिए पास में लेना बताया। अन्य लोगों की जामा तलाशी ली गई तो पास से कुछ बरामद नहीं हुआ बताया कि जो मेरे पास था वह खाने-पीने में खर्च हो गया। वादी मुकदमा श्री उमेश कुमार को फोन कर मौके पर बुलाया गया तो वादी मुकदमा ने मुल्जिमान व गाड़ी की पहचान बताया कि यही मुल्जिमान है इसी कार से ये चारों मिल कर मेरे साथ रूपया व कागजात छिने थे। इस बात का पूर्ण विश्वास होने पर कि इन्हीं अभियुक्तों के द्वारा वादी मुकदमा के साथ रात्री में वादी मुकदमा के साथ लूट की घटना की गई है। तो समय 08.30 वजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं-62/21 धारा 384/392/323 IPC थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नन्दन सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह ग्राम अमारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मनीष कुमार सिंह पुत्र शिव बालक प्रजापति ग्राम रिठारी -ps. कोरारा जिला हमीरपुर
3. निसार अहमद पुत्र शाहिद अहमद ग्राम गोपालगंज थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
4. आयुष सिंह पुत्र देवेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम अमारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### बरामदगी -

छिने गये 1500 रु व माल सम्बन्धित पेपर (बिल्टी) व घटना में प्रयुक्त वाहन UP78EP7858 Eco Sport

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 लाल बहादुर विन्द मय हमराह का0 कौशुभ कुमार व का0 हरिभान सिंह

### थाना निजामाबाद

#### एक अदद तमंचा अवैध व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चेकिंग संदिग्ध/वांछित व्यक्तियों के अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 15.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र व HS चेकिंग में मामूर थे कि दौरान चेकिंग ग्राम मैनपारपुर में पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया कि शंका होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को घेरघार कर पकड़ लिया गया तथा नाम पता पूछा गया को अपना नाम पप्पू यादव उर्फ दीपचन्द पुत्र बृजराज साकिन मैनपारपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया तथा उपरोक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अवैध असलहा की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0- 80/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0न्यायालय चालान किया गया।

**पूछताछ विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बता रहा है कि साहब असलहा अपने पास रखता हूँ जिससे लोगों में भय बना रहता है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

पप्पू यादव उर्फ दीपचन्द पुत्र बृजराज साकिन मैनपारपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

### बरामदगी-

एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नजायज

### पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 80/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. SHO शिवशंकर सिंह थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. व0उ0नि0 आकाश कुमार थाना निजामाबाद, आमजगढ़
3. का0 सुमित कुमार-1 थाना निजामाबाद, आजमगढ़
4. का0 हर्षित कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़ व अन्य हमराहीगण

### थाना- रानी की सराय

### सात नफर वारंटी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अग्रिम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान शराब विक्री की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.04.2021 उ0नि0 राज कुमार तिवारी मय हमराहीयान के वारंटीगण 1. राज बहादुर पुत्र विजय उर्फ बेचू राम 2. राजबीर पुत्र सुभगा 3. धर्मेन्द्र बनवासी पुत्र रमेशचन्द 4. रामअवतार पुत्र फिरतू 5. सुनील प्रजापति पुत्र जवाहिर प्रजापति 6. कतवारू पुत्र कोमल 7. अमित यादव पुत्र त्रिभुवन साकिनान मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अन्तर्गत

धारा 107/116 सीआरपीसी में जारी वारंट के अनुपालन में वारंटीगण के घर से समय करीब 13.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अन्तर्गत धारा 107/116 सीआरपीसी

**गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

1. राज बहादुर पुत्र विजय उर्फ बेचू राम
2. राजबीर पुत्र सुभग्गा
3. धर्मेन्द्र बनवासी पुत्र रमेशचन्द
4. रामअवतार पुत्र फिरतू
5. सुनील प्रजापति पुत्र जवाहिर प्रजापति
6. कतवारू पुत्र कोमल
7. अमित यादव पुत्र त्रिभुवन साकिनान मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 राज कुमार तिवार, कां0 रमेश कुमार, रि0कां0 सत्यम शुक्ला व रि0कां0 रितिक शुक्ला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।\*

21 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की